न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 62/2022

1 सुल्तान खां पुत्र सिकन्दर खां जाति पठान निवासी ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मजीद खां पुत्र जबरू खां।
2 समीम पुत्री सिकन्दर खां।
3 शाहीदा पुत्री सिकन्दर खां।
4 मुमताज बानो पुत्री सिकन्दर खां।
5 कलसुम पुत्री सिकन्दर खां।
6 भंवरी पत्नी सिकन्दर खां।
7 अलीशेर खां पुत्र सिकन्दर खां समस्त जाति पठान निवासीगण लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद निर्णय अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी डा. कुलराज मीणा आर.ए.एस. दिनांकित 12.07.2022 आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ब्उनवानी मजीद खां आदि बनाम सुल्तान वगैरह मुकदमा नम्बर 13/2021 में पारित कर आवेदन प्रार्थी स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश परित किया गया उसे निरस्त किए जाने बाबत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री अमरचन्द पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 5-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक किता आवेदन दिनांक 13—08—2021 को धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 456,457 वाके ग्राम लालासी में जाने हेतु एक किता कदीमी रास्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 455 रकबा 0.70 हेक्टर की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व पश्चिम 16 फीट चौड़ा मौके पर मौजूद बताकर उसे खुलवाने बाबत तथा रेवेन्यू रिकार्ड में दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया था। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 22—09—2021 मय नक्शा के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। परंतु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कानूनी आधार के मात्र कयासात पर आधारित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मजीद खां के आवेदन पर उक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट को निरस्त कर नयी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, बाद में दिनांक 28—06—2022 को एक अन्य रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में भी पूर्व रिपोर्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकित 22–09–2021 के तथ्य अंकित थे। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त कानूनी बिन्दुओं व रिकार्ड पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट को नजर अंदाज कर कतई गलत रूप से चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांकित 12–07–2022 पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 22–09–2021 में स्पष्ट अंकन है कि आवेदनकर्ता के पास मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। आवेदनकर्ता द्वारा चाहा गया रास्ता कटानी रास्ते से नहीं जुड़ता है। विचारण न्यायालय में इस तथ्य पर गौर नही कर विधिक त्रुटि की है। आवेदनकर्ता ने विचारण न्यायालय में बंद रास्ते को खुलवाने की प्रार्थना की है। विधि अनुसार यह अनुतोष धारा 251 ए की परिधि में नहीं आता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश कर तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि प्रकिया की पालना में पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय की पालना में डीएलसी की दर के डिमांड ड्राफ्ट तहसीलदार लक्षमणगढ़ के यहां जमा करवा दिए गये है। रेस्पोडेन्ट के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अपीलांट द्वारा कथित रास्ता अन्य व्यक्तियों का निजी रास्ता है। कटानी रास्ता नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 22–09–2021 में स्पष्ट अंकन है कि आवेदनकर्ता के पास मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। आवेदनकर्ता द्वारा चाहा गया रास्ता कटानी रास्ते से नहीं जुड़ता है। विचारण न्यायालय में इस तथ्य पर गौर नही कर विधिक त्रुटि की है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वंय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार स्वंय से उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त करें तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर